ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2014 से 03/2017
भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधा व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री अमर नाथ गौतम	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री प्रेम लाल गौतम	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री कर्मदयाल	01.04.2014 से 23.05.2014
2	श्री राजेन्द्र पाल	24.05.2014 से 31.03.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.83
2	7	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	––
3	8	नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जाना	––

4	9	बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना	––
5	10	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	1.31
6	14	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.49
7	15	अनुदान की राशि का अवरोधन	14.76
8	16	बिना बिलों के किया गया संदिग्ध भुगतान	0.48
9	17	सीमेंट पाइपों की खरीद में किया गया अधिक व अनियमित भुगतान	0.49
10	18	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक/स्टोर का क्रय	3.58
11	21	सीमेंट गोदाम हेतु किराए पर लिए गए कमरे के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाकर किया गया अनियमित व्यय	0.12
12	25	निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.15

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05/05/2017 से 16/05/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 06/2014, 01/2016, 02/2017 व 06/2014, 06/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/—82 दिनांक 16/05/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हि. प्र. रा. स. बैंक बरठीं के चैक संख्या 740162 दिनांक 24—05—2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	358666	4985700	5344366	4680565	663801
2015—16	663801	3822379	4486180	3315586	1170594
2016—17	1170594	9128047	10298641	8822208	1476433

टिप्पणीः— ग्राम पंचायत बरठीं द्वारा स्व—स्त्रोतों (खाता ''क'') के आय—व्यय के लिए हि प्र राज्य सह बैंक की बरठीं शाखा में बचत खाता 10410109841 तो नियमानुसार अलग से खोल लिया गया है तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व—स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार नहीं की जा सकी है।

5 **बैंक समाधान विवरणीः—**

ग्राम पंचायत बरठीं की रोकड़ बही अनुसार संकलित वित्तीय स्थिति के उपरोक्त ₹14,76,433 के अन्तशेष का बैंक खातों में जमा विवरण तथा बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
	रोकड़ बही के अनुसार खाता ''क व ख'' – पैरा 4			**1476433**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	पंचायत निधि– खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9841	8877
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9108	623282
3	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	15420	526
4	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	15407	2486
5	राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	15408	1347
6	निर्मल भारत अभियान	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	17358	101237
7	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	10958	0
8	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	17574	820258
9	हरियाली	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	10800	0
10	हरियाली– लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	10799	171
11	स्वजल धारा	यूको बैंक बरठीं	7942	38257
12	हरियाली की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			43
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				1596484
बैंक समाधान विवरणीः–				
रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः				1476433
जमाः– वह चैक जो 31–03–2017 से पूर्व जारी किए गए थे परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः–				
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740059			8100	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740058			28917	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 768876			3926	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740061			3950	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740062			5510	

14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 768889	51620	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740063	7260	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740064	1476	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740069	15000	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740066	24644	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740067	13673	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740068	30996	
14वां वित्तायोग के खाता संख्या 17574 से जारी चैक संख्या 740060	8000	
(+) उपरोक्त चैकों का कुल योगः		**203072**
रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः		**1679505**
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः		1596484
अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में जो कि खाता 'क व ख' की संयुक्त रोकड़ बही से सम्बन्धित है :		**83021**

उपरोक्त ₹83021 के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः–

गत पैरा 5 में जो ₹83021 का अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से आहरित समस्त राशि को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिस कारण से दिनांक 31–03–2017 को बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों के अन्त शेष से कम पाया गया है। इसके कारणों की विभाग द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्यतन (Updation) करने के पश्चात कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में पांच अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान

पर अनुरक्षित इन पांच रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत बरठीं में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत बरठीं द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 खाता 'ख' के ₹1.31 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बरठीं के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,30,567 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित

ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
9108	1071	5875	5465	7586	40676	34163	94836
5420	605	1514	1205	457	10	10	3801
5407	457	599	290	446	455	114	2361
5408	260	185	29	158	365	125	1122
7358	0	0	0	0	1619	6683	8302
0958	1403	218	21	21	22	14	1699
7574	0	0	0	0	0	13673	13673
0800	374	26	27	27	4	0	458
0799	3	3	3	3	3	3	18
7942	674	698	701	1094	748	382	4297
कुल योगः–	**4847**	**9118**	**7741**	**9792**	**43902**	**55167**	**130567**

11 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत राजस्व ₹1.49 लाख वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बरठीं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹1,48,640 की वसूली शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 व 2015–16 में 1024 तथा 2016–17 में 1015 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से वर्ष 2014–15 एवं तत्पश्चात ₹50 प्रति परिवार की दर से प्राप्य गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	54000	20480	74480	71790	2690
2015–16	2690	51200	53890	0	53890
2016–17	53890	50750	104640	0	104640

2. **मोबाईल टावर :–** पंचायत क्षेत्र में स्थापित टावरों की संख्याः 2

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	32000	4000	36000	0	36000
2015–16	36000	4000	40000	0	40000
2016–17	40000	4000	44000	0	44000

टिप्पणी 1:– हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के कार्यालय पत्र संख्याः पी.सी.एच. (2)8/99 दिनांक 09.11.2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर से ₹4000 स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी 2:– पंचायत क्षेत्र में दो कम्पनियों द्वारा स्थापित मोबाइल टॉवरों के सन्दर्भ में पंचायत द्वारा न तो ₹4000 की दर से कोई स्थापना शुल्क वसूल किया गया है और न ही आज तक ₹2000 प्रतिवर्ष की दर से नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई है।

टिप्पणी 3:– इनमें से एक टॉवर बी एस एन एल तथा दूसरा टॉवर एयरसैल/जी टी एल कम्पनी का है।

टिप्पणी 4:– इन दोनों टॉवरों की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

15 अनुदान ₹14.76 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹14,76,433 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

16 बिना बिलों के किया गया ₹0.48 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार दर्ज ₹48,359 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। बिना बिलों के दर्ज इस संदिग्ध व्यय की सम्पूर्ण जांच विभागीय स्तर पर करके किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने की परिस्थिति में इस अनुचित भुगतान की वसूली उत्तरदायी से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि

(₹)

	खाता 'ख' सामान्य निधिः–			
1	16.3.17	73	नागरिक आपूर्ती विभाग झण्डुता को 180 बैग सीमेंट खरीद का भुगतान	44359
2	29.3.17	76	श्री गोपाल को शटरिंग का भुगतान	4000
			कुल योगः	**48359**

17 सीमेंट पाइपों की खरीद में किया गया ₹0.49 लाख का अधिक व अनियमित भुगतानः–

पंचायत निधि के खाता ''ख'' की रोकड़ बही के पृष्ठ 60 पर दिनांक 12.6.2015 को दर्ज प्रविष्टि के अनुसार मै. कैलाश इन्डस्ट्रीज़ बिलासपुर को ₹39,853 तथा तथा मै. ए. एस. स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज़ भाम्बला को ₹1,53,300 का भुगतान किया गया है। यह व्यय स्वच्छ/निर्मल भारत अभियान परियोजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा गन्दे पानी की निकासी हेतु भूमिगत नालियां बनाने के लिए प्रयोग की गई सीमेंट पाइपों की खरीद से सम्बन्धित है। इन बिलों से खरीदी गई कुल पाइपों में से 150 पाइपें 250 मिलीमीटर ब्यास की हैं जिसमें से 50 पाइपें मै. कैलाश इन्डस्ट्रीज़ बिलासपुर से ₹630 प्रति पाइप + 5 प्रतिशत वैट तथा 100 पाइपें मै. ए एस स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज़ भाम्बला से ₹1100 + 5 प्रतिशत वैट की दर से खरीदी गई हैं। इन सीमेंट पाइपों की खरीद तथा उसमें पाई गई अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

- मै. कैलाश इन्डस्ट्रीज़ बिलासपुर से खरीदी गई 50 पाइपों का मूल्य ₹33075 (₹630 प्रति पाइप + 5 प्रतिशत वैट) ₹661.50 प्रति पाइप की दर से है।
- मै. ए एस स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज़ भाम्बला से खरीदी गई 100 पाइपों का मूल्य ₹1,15,500 (₹1100 + 5 प्रतिशत वैट) ₹1155 प्रति पाइप की दर से है।
- इस प्रकार मै. ए एस स्पन पाइप इन्डस्ट्रीज़ भाम्बला से खरीदी गई समान 250 मिलीलीटर की पाइपों पर ₹493.50 प्रति पाइप की दर से कुल ₹49,350 का अनियमित तथा अधिक भुगतान किया गया है।

- इसके अतिरिक्त इन पाइपों की खरीद करते समय किसी भी प्रकार की निविदा/टेंडर आमन्त्रित करने सम्बन्धी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच की जाए अनियमितता की पुष्टि हो जाने के पश्चात अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ती उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त निविदा सम्बन्धी अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.58 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,58,233 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता ''ख''—			
1	14.8.14	11 व 12	सरिया (एक ही बिल से की गई खरीद)	17410 3443
2	7.10.14	20	खच्चरों पर सामान ढुलाई	15000
3	14.11.14	25	ईंटें	27000
4	19.12.14	28	दरवाजों खिड़कियों के लिए कुन्डियां, कब्ज़े आदि	18600
5	16.6.15	62	सीमेंट पाइपों की ढुलाई	12150
6	16.6.15	62	सीमेंट पाइपों की ढुलाई	6750
7	13.2.17	66	रेत, बजरी व पत्थर	12400
8	13.2.17	66	ईंटें	4800

9	13.2.17	66	रेत, बजरी व पत्थर	15000
10	8.3.17	71	सरिया	12434
11	8.3.17	71	सरिया	8346
12	8.3.17	71	रेत, बजरी व पत्थर	24200
13	29.3.17	76	बिजली की फिटिंगज़	19165
14	29.3.17	76	बिजली की फिटिंगज़	8385
15	29.3.17	76	रेत व बजरी	14400
16	31.3.17	77	पलास्टिक कुर्सियां	14250
	14वां वित्तायोगः–			
17	31.3.17	18	रेत, बजरी व पत्थर	42800
18	31.3.17	19	रेत, बजरी व पत्थर	37200
19	31.3.17	19	कम्पयूटर व प्रिंटर	44500
	कुल योगः			**358233**

उपरोक्त तालिका में दिया गया विवरण मात्र चयनित माह की जांच से सम्बन्धित है इसके अतिरिक्त भी बहुत सा व्यय ऐसा है जोकि को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 एकत्र की गई निविदाओं में सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करनाः–

पंचायत लेखाओं तथा वाउचरों की जांच में पाया गया कि जिन प्रकरणों में स्टॉक खरीदने से पूर्व निविदाएं एकत्र की भी गई हैं उनमें भी नियमों में प्रावधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1) खरीद के औचित्य को स्पष्ट करते हुए कोई मांगपत्र अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

2) सम्भावित विक्रेताओं/आपूर्तीकर्ताओं से निविदाएं आमन्त्रित करने हेतु नियमानुसार आपूर्ती की शर्तों को स्पष्ट करते हुए कोई निविदा आमन्त्रण पत्र जारी नहीं किया गया है।

3) संलग्न निविदाओं के लिए कोई तुलनात्मक विवरणी तैयार तथा अनुमोदित नहीं की गई है।

4) आपूर्तीकर्ता को सामान भेजने हेतु कोई आपूर्ती आदेश जारी नहीं किया गया है।

5) एकत्र की गई किसी भी निविदा में प्रस्तुत करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में निविदाएं एकत्र भी की गई हैं वह मात्र औपरिकता के लिए किया गया है न कि नियमों की अनुपालना तथा बाजार की प्रतिस्पर्धा का वास्तविक लाभ उठाने हेतु। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20 निर्माण सामग्री की खरीद हेतु किसी प्रकार की निविदाएं अथवा टैंडर आमन्त्रित न करनाः—

पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल ₹1,68,18,359 के व्यय में से यदि नरेगा के प्रावधानों को आधार माना जाए तो 40% की दर से लगभग ₹67 लाख का व्यय निर्माण सामग्री पर किया गया है। परन्तु इस सामग्री को खरीदते समय पंचायत द्वारा किसी प्रकार की निविदा अथवा टैंडर आमन्त्रित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस अनियमितता के बारे में मौखिक पूछताछ के दौरान बताया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष की प्रथम ग्राम सभा के दौरान बिना किसी दस्तावेज को आधार बनाए सभी प्रकार की सामग्री का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तथा सारा वर्ष इसी आधार पर सामग्री की खरीद की जाती है। इस प्रकार की अनियमित तथा आधारहीन प्रक्रिया के पंचायत द्वारा अपनाने के बारे में तथ्यपूरक वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 सीमेंट गोदाम हेतु किराए पर लिए गए कमरे के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया ₹0.12 लाख से अधिक का अनियमित व्ययः—

ग्राम पंचायत द्वारा श्री राजेन्द्र, पुत्र निक्कू राम, गांव भटोली से सीमेंट गोदाम के रूप में कमरा किराए पर लिया गया है। जिसके एवज़ में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान ₹12,300 का अनियमित भुगतान किया गया है। यह कमरा कब से किराए पर लिया गया था इसका विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था और न ही इस किराए के भुगतान का संकलित विवरण किसी रजिस्टर इत्यादि में रखा गया है जिस कारण से इस कमरे के किराए के रूप में अब तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को

किराए पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराए पर लेने से पूर्व अथवा किराया वृद्धि हेतु इसके किराए का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है तथा इस गोदाम के किराए का मूल्यांकन न तो कमरा किराए पर लेते वक्त करवाया गया है और न ही किराया वृद्धि के वक्त करवाया गया है। इस कारण से इस गोदाम को किराए पर लिए जाने से अब तक किराए के रूप में किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः गोदाम किराए का मूल्यांकन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को अब लोक निर्माण विभाग से इसका मूल्यांकन नियमानुसार सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अब तक इस मद में किए गए कुल व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	**दिनांक**	**रोकड़ पृष्ठ**	**अवधि**	**दर प्रतिमाह (₹)**	**कुल भुगतान (₹)**
1	24.6.15	64	12 माह	400	4800
2	28.2.17	69	15 माह	500	7500
			कुल योगः–		**12300**

22 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा अन्य तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत बरठीं में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

24 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः—

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः—

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः—** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः—** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹73,15,045 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट (2)** के अनुसार 28148 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः—** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस —1/2016—16—आर डी (पी आर सी) दिनांक 13—05—2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए

विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बरठीं द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 निर्माण कार्यों के निष्पादन में ₹0.15 लाख के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करनाः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निश्पादित निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान अलग अलग निर्माण कार्यों के बिलों की माप पुस्तिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ₹14893 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया हैः–

क्र	एम बी मद संख्या	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	मानक प्रमात्रा (घन मीटर) सीमेन्ट (बैग)	रेत	बजरी
	कार्य का नामः– लेख राम के घर से सड़क की ओर गंदे पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण, मापन पुस्तिका क्रमांकः– 5563, पृष्ठ 20–22 पूर्णता दिनांकः– अनुपलब्ध					
1	2	1:4:8 सीमेंट कंक्रीट	3.137 $मी^3$	10.67	1.47	2.79
2	3	1:4 हाफ ब्रिक मैसनरी	6.055 $मी^2$	12.90	0.18	––
	कुल योग			**23.57 अथवा 24 बैग**	**1.65**	**2.79**
	वास्तविक खपतः–			20	2.50	3.20
	अधिक खपतः–			––	0.85	0.41
	लागत मूल्य दर (₹) ढुलाई लागत सहित			––	1200	1100
(क)	**अधिक भुगतानः–**				**1020**	**451**

कार्य का नामः– अमर नाथ पुत्र शयाम राम गांव कंडियाना के लिए जल संग्रहण टेंक का निर्माण

मापन पुस्तिका क्रमांकः– 7256, पृष्ठ 10–12

	पूर्णता दिनांकः— अनुपलब्ध					
1	3	1:2:4 सीमेंट कंक्रीट	10.22 मी^{3}	64.79	4.50	9.10
2	4	1:1.5:3 सीमेंट कंक्रीट	1.89 मी^{3}	12.10	0.85	1.70
3	7	1:5 सीमेंट पलस्तर	38.08 मी^{2}	3.48	0.61	——
	कुल योग			**80.37 अथवा 80 बैग**	**5.96**	**10.80**
	वास्तविक खपतः—			100	7.95	13.90
	अधिक खपतः—			20	1.99	3.10
	लागत मूल्य दर (₹) ढुलाई लागत सहित			238.43	1700	1700
(ख)	**अधिक भुगतानः—**			**4768.60**	**3383**	**5270**
	कुल अधिक भुगतानः— (क+ख)			**14892.60 अथवा ₹14893**		

उपरोक्त प्रकरण की जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उचित स्त्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

ग्राम पंचायत बरठीं में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निश्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः—

26.1:— इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26.2:— हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26.3:— निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में

मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26.4:– तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

26.5:– हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

27 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) मद के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत बरठीं द्वारा स्टॉक रजिस्टरों को आरम्भ तो किया गया है परन्तु उनका निरन्तर अद्यतन नहीं किया गया है। अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई समस्त सामग्री स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित नहीं की गई है। इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टरों दर्ज नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री को स्टॉक

रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

28 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर का निर्माण योजनाओं/परियोजनाओं के आधार पर करने के स्थान पर प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर अलग–अलग किया गया है जो कि नियमों के विरूद्ध है।	21	61(1)

8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 विविध अनियमितताएः–

30.1:– ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

30.2:– निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

30.3:– पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

32 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 19/2017–खण्ड–1–5591–5594,दिनाँक,12.09.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत बरठीं, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046